न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 34/13 दायरा दिनांक 21.05.2013

पीठासीन अधिकारी :— राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. लेखराज पुत्र लोडूलाल जाति मीणा निवासी छत्रगंज तहसील किशनगंज, जिला बारां।
2. भीमराज पुत्र लोडूलाल जाति मीणा निवासी छत्रगंज तहसील किशनगंज, जिला बारां।

—अपीलाण्टगण

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज नाहरगढ़ तहसील किशनगंज।
2. मण्डल वन अधिकारी, वन विभाग बारां।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां। **— रेस्पोडेण्टगण**

उपस्थित :—

1. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक अपीलान्ट।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 02-02-2021

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.04.2013 को निरस्त किये जाने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज प्रकरण संख्या 54/13 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.04.2013 को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्टगण से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई, आराजी खसरा नम्बर 516/857 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी सोयम लगानी 4.50 रूपये वाके माल छतरगंज के अपीलान्टगण खातेदार कृषक थे जिसे इन्तकाल नम्बर 792 निर्णय दिनांक 01.06.2001 को नायब तहसीलदार किशनगंज द्वारा जंगलात के खाते दर्ज कर दी गई थी जिससे अपीलान्ट सहित 7 खातेदार प्रभावित हुये थे जिसमें से 4 खातेदारों द्वारा इन्तकाल नम्बर 792 को निरस्त कराये जाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, बारां के यहां अपील प्रस्तुत की गई थी। जो प्रकरण संख्या 291/0[illegible] दिनांक 15.11.2002 से स्वीकार की जाकर इन्तकाल निरस्त किया जाकर वास्ते सुन[illegible] निर्णय तहसीलदार किशनगंज द्वारा प्रकरण संख्या 16/05 निर्णय दिनांक 18.03.2011 से पूर्व [illegible] नम्बर 792 दिनांक [illegible].2001 सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:20 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने हेतु राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में हल्का पटवारी छतरगंज द्वारा 4 खातेदारों की आराजी की पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर उन्हें खातेदारी दी गई लेकिन शेष अन्य 3 खातेदारों के हक में पूर्व की स्थिति कायम नहीं की गई। अपीलान्टगण द्वारा तहसीलदार किशनगंज को दिनांक 17.01.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु आवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। पुनः दिनांक 05.04.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.03.2011 प्रकरण संख्या 16/05 की पालना कराये जाने हेतु आवेदन किया जिसके निर्णय में माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में उनके द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 18.03.2011 प्रकरण संख्या 16/05 में किये गये निर्णय को स्वयं के द्वारा निरस्त किया जाकर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय पारित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था क्योकि रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 वन विभाग द्वारा पूर्व के निर्णय के विरूद्ध किसी अपर जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी। अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. में पूर्व के निर्णय की पालना कराये जाने बाबत् था जिसका गलत अर्थ लगाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक थे तथा नियमानुसार आंवटन किया गया था। इस कारण अपीलान्टगण के हक में इन्तकाल खोले जाने का आदेश दिया जाना उचित था।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि इन्तकाल नम्बर 792 दिनांक 01.06.2001 से 7 व्यक्तियों के खाते से वन विभाग के नाम दर्ज कर दी। उक्त व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों ने ए.डी.एम. कोर्ट में अपील की। ए.डी.एम. कोर्ट ने इन्तकाल नम्बर 792 को खारिज कर निर्णय दिनांक 15.11.2002 से तहसीलदार किशनगंज को रिमाण्ड किया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.03.11 को 4 व्यक्तियों को पुनः खातेदारी दी गई। तहसीलदार के फैसले का अवलोकन कर हमे भी वापस खातेदार घोषित किया जावें। जब पूरा ही इन्तकाल खारिज हो गया तो हमे भी खातेदार घोषित किया जावें।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इन्तकाल 792 दिनांक 01.06.2001 छतरगंज निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को प्रति प्रेषित कर आदेश दिया जाता है प्रकरण की विस्तृत जांच करें कि खसरा नम्बर 516/857 रकबा 15 बीघा का अपीलान्टगणों को किया गया आवंटन भू दान यज्ञ बोर्ड अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किस आदेश से निरस्त किया गया यदि सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त करने का कोई आदेश हो तो उक्त आदेश की पालना में आवंटन निरस्त का नामान्तरकरण पुनः दर्ज कर निर्णित करने की कार्यवाही करें। यदि आवंटन निरस्तीकरण का सक्षम अधिकारी/न्यायालय का कोई आदेश नहीं हो तथा अपीलाधीन इन्तकाल नम्बर 792 बिना किसी सक्षम आदेश के खोला जाना पाया जावें तो नियमानुसार पूर्व स्थिति अनुसार आवंटी के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:20 IST
Reason: SelfAttested